झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय– स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत राँची शहरी क्षेत्र में लोक–निजी भागीदारी (PPP Model) पर Public Bicycle Sharing System के अधिष्ठापन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

5164
10/08/17

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। राज्य गठन के पश्चात् राज्य की राजधानी राँची की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर, इस अनुपात में शहरी परिवहन व्यवस्था से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो पाने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाया है।

2. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत झारखण्ड राज्य की राजधानी राँची का चयन किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की शीर्ष समिति के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के निमित राँची शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में उल्लेखित विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र एवं ससमय क्रियान्वयन का निदेश दिया गया है।

3. किसी भी शहर की परिवहन व्यवस्था उस शहर विशेष को परिभाषित करती है। परिवहन व्यवस्था शहर विशेष के नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था से किसी शहर की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति भी निर्भर करती है। वर्तमान में 22% राँची शहर वासियों द्वारा स्थानीय परिवहन हेतु निजी वाहनों का उपयोग किया जाता है, जो सन् 2031 में बढ़कर 43% होने का अनुमान है। वर्तमान में राँची शहर में सुनियोजित परिवहन व्यवस्था का अभाव है, जिसके कारण बहुतायत लोगों के द्वारा अलग–अलग माध्यमों से आवागमन किया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 36% शहरवासी पैदल यात्री हैं एवं 9% शहरवासियों द्वारा स्थानीय परिवहन हेतु साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है।

4. उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्य के राजधानी क्षेत्र में सुगम, सुरक्षित एवं टिकाऊ आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में Public Cycle Sharing System योजना का सूत्रण किया गया है, जिसके अधिष्ठापन से स्थानीय परिगमन संबंधी समस्याओं का एक उचित एवं टिकाऊ समाधान हो सकता है, जिसके दूरगामी प्रभाव होगें।

5. राँची शहर में Public Bicycle Sharing System के अधिष्ठापन एवं इसकी संभाविता की जाँच के क्रम में जनवरी, 2017 में माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा अध्ययन यात्रा हेतु मेक्सिको सिटी का भ्रमण किया गया था। इस अध्ययन यात्रा का आयोजन Institute for Transport and Development Policy (ITDP) संस्था के द्वारा किया गया था। इस अध्ययन यात्रा में प्रतिनिधिमण्डल के द्वारा मेक्सिको सिटी में अधिष्ठापित Public Bicycle Sharing System के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं इसके अधिष्ठापन हेतु आवश्यक संसाधनों एवं अन्य कारकों का अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरांत प्रतिनिधिमण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था को राँची शहर में अधिष्ठापित करने से यह स्थानीय यातायात के स्थायी विकल्प के रूप में कार्यरत होगा।

6. उपरोक्त निर्णय के क्रम में राँची शहर में Public Bicycle Sharing System के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन की निम्नलिखित विशेषताऐं हैं :—

i. प्रथम चरण में इस योजना को लगभग 1200 साईकलों के साथ राँची शहर के लगभग 120 स्टेशनों से प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम चरण की योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात् इसे संपूर्ण शहरी क्षेत्र में विस्तारित किया जायेगा।

ii. दो साईकिल स्टेशनों की बीच की दूरी लगभग 300 मीटर तक होगी। इन साईकिल स्टेशनों की क्षमता आवश्यकतानुसार 12 साईकिल, 24 साईकिल एवं 36 साईकिल प्रति स्टेशन होगी।

iii. यह स्टेशन पूर्णतः स्वचालित (Fully Automatic) होंगे, जहाँ से उपभोक्ताओं द्वारा साईकिलों को Check-in (निकालना) एवं Check-out (लगाना) किया जायेगा।

iv. इस सेवा हेतु तकनीकी रूप से उच्च क्षमता वाले साईकिलों का प्रयोग किया जाएगा, जिनके उपकरण विशेष रूप से डिजाईन किए जायेंगे। इन साईकिलों में सुरक्षा के विशेष साधन भी उपलब्ध होंगे। इन साईकिलों एवं इनके कल—पूर्जो को कहीं भी बेचना संभव नहीं होगा।

v. इन साईकिलों में Radio Frequency Identification Devices (RFIDs) यंत्र अंगीकृत होंगे, जिसके माध्यम से इनके वर्तमान अवस्थिति (Current Location) की जानकारी प्राप्त होगी।

vi. उपभोक्ताओं को साईकिल निर्गत करने के लिए Smart Phone Applications एवं Smart Card उपलब्ध होंगे, जिसे उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा।

vii. प्रारंभिक दौर में इसके विस्तार क्षेत्र (Coverage Area) को प्रमुख स्थानों यथा— Public Transport Hubs, Landmarks, Market Places, सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित रखा जाएगा, जिसे भविष्य में आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जायेगा।

viii. इस व्यवस्था के टिकट प्रणाली को ऑनलाईन माध्यम पर विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था को भविष्य में राँची शहर के नगर बस सेवा तथा प्रस्तावित मेट्रो रेल सेवा के टिकट प्रणाली के साथ एकीकृत किया जायेगा। ऐसा करने से सभी माध्यमों के टिकट प्रणाली में एकरूपता आएगी।

7. उपरोक्त विशेषताओं के साथ प्रथम चरण के किर्यान्वयन हेतु चिन्हित क्षेत्रों में PPP माध्यम से सेवा प्रारंभ करने के लिए सक्षम संस्था का चयन स्वीकृत निविदा दस्तावेज के आधार पर किया जायेगा।

8. इस परियोजना की अवधि प्रारंभिक रूप से 6 वर्ष होगी, जिसे बाद में आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जायेगा।

9. इस परियोजना का क्रियान्वयन स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन हेतु गठित विशेष प्रयोजन साधन (SPV) 'राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSCCL)' द्वारा किया जायेगा।

10. इस परियोजना का वित्त पोषण स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत उपलब्ध राशि एवं अमृत योजना के तहत प्राप्त शहरी सुधार की प्रोत्साहन राशि से किया जायेगा।

11. प्रस्ताव पर योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्राप्त है कि निविदा के पश्चात् Quantity Funding का आकलन कर पुनः सहमति प्राप्त की जाएगी।

5164
10/08/17

12. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के उपर्युक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13. उपर्युक्त प्रस्तावों पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 05.08.2017 में मद संख्या 5 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10.8.17

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– SUDA/SCM/RSCCL-PBS/03/2017 5164 **राँची, दिनांक**– 10/08/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– SUDA/SCM/RSCCL-PBS/03/2017 5164 **राँची, दिनांक**– 10/08/17

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।